पत्रिका

हाईकोर्ट का आदेश- प्रोजेक्ट मैनेजर इसी सड़क से होते हुए कोर्ट में उपस्थित हों

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ की सड़कों की बदहाली पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। लगातार निर्देशों के बाद भी सड़कों की हालत न सुधरने पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को खराब हो चुके रायपुर- बिलासपुर सड़क मार्ग से होते हुए कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए और मंगलवार को फिर सुनवाई रखी है।

प्रदेश के खराब सड़कों पर दायर जनहित याचिकाओं और स्वतः संज्ञान की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बिलासपुर-रायपुर नेशनल

हाईवे प्रदेश का महत्वपूर्ण हाईवे है। यह प्रदेश की राजधानी और न्यायधानी को सीधे तौर पर जोड़ता है। बिलासपुर और आसपास के जिलों तथा सरगुजा संभाग जाने के लिए बस्तर संभाग और रायपुर संभाग के लोग भी इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लोग रायपुर बिलासपुर एनएच से होकर ही राजधानी पहुंचते हैं। इतनी महत्वपूर्ण सड़क होने के बाद भी इसके रखरखाव में नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सड़कों की हालत में सुधार न होने पर नाराजगी जताई।

कोर्ट ने कहा-आप क्या चाहते हैं, लोग सड़क पर चलें या न चलें: एनएचएआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता से चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप तो अक्सर रायपुर जाते होंगे, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलने के लिए। तो आपने इस सड़क की स्थिति भी देखी होगी। नेशनल हाईवे वाले जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करते हैं, सड़क पर स्टॉपर लगाते हैं वे बेतरतीब, लावारिस हालत में सड़क पर पड़े हैं। हम वहां चलें या ना चलें, आप क्या चाहते हैं? पेंच वर्क करने के लिए जो मटेरियल सड़क पर छोड़ा गया है उससे भी गंदगी फैल रही है और दुर्घटनाओं की आशंका चौबीस घंटे बनी रहती है। इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं और जनहानि हो रही है। इसके अलावा मवेशी भी इस सड़क पर वाहनों से कुचलकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इस तरह की स्थिति कब तक रहेगी और इसमें सुधार कब तक होगा।

05/08/2025 | Raipur City | Page : 7
Source : https://epaper.patrika.com/